

# ORDER SHEET

11 of 2016  
B.A

THE COURT

Date of order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
26/12/2016	<p>आरोपी/आवेदक रायसिंह द्वारा श्री तेजपालसिंह तोमर एड0 उप0।</p> <p>राज्य द्वारा श्री भगवानसिंह बघेल ए0जी0पी0।</p> <p>पुलिस थाना गोहद चौराहा से अप0क0-130/13 की कैफियत मय केस डायरी प्राप्त।</p> <p>इस न्यायालय का सत्रवाद प्रकरण क्रमांक-57/2014 पेश किया गया।</p> <p>प्रकरण आरोपी/आवेदक रायसिंह के प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र पर तर्क हेतु नियत है।</p> <p>पुलिस थाना गोहद चौराहा के अप.क-130/2013 अंतर्गत धारा-302, 147, 148, 149 भादवि. आरोपी/आवेदक रायसिंह के द्वारा प्रस्तुत धारा-439 द.प्र.सं. के नियमित जमानत आवेदनपत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने गये।</p> <p>आरोपी/आवेदक रायसिंह के द्वितीय नियमित जमानत आवेदनपत्र होने तथा अन्य किसी न्यायालय में कोई आवेदनपत्र पेश ना करने और विचाराधीन व निरस्त ना होने बाबत ब्रजेन्द्रसिंह का शपथपत्र पेश किया गया है, जिसपर कोई आपत्ति नहीं आयी है। इसलिये आरोपी/आवेदक रायसिंह के द्वितीय नियमित जमानत आवेदनपत्र मानते हुए उसका निराकरण किया जा रहा है।</p> <p>आरोपी/आवेदक रायसिंह का कहना है कि उसका प्रथम जमानत आवेदनपत्र बल न देने के कारण दि0-03/11/2016 को निरस्त किया गया था, उसे इस न्यायालय के सत्रवाद प्रकरण क्रमांक-57/2014 आवेदक/आरोपी को झूठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, न ही वह घटना के समय मौके पर उपस्थित था। दि0-14/05/2005 को इस प्रकरण के फरियादी के पिता व माताजी द्वारा ग्राम छीमका के इंदलसिंह व भंवरसिंह की हत्या की गयी थी जिसमें आवेदक ने गवाही दी थी और फरियादी के माता पिता को आजीवन कारावास की सजा व 10-10 हजार रुपये का अर्थदण्ड हुआ था। उक्त झूठी रिपोर्ट के संबंध में आवेदक द्वारा निष्पक्ष जांच हेतु आवेदन वरिष्ठ अधिकारियों से कराये जाने बाबत आवेदन दिये जिसकी जांच एस.डी.ओ.पी. लहार द्वारा की गयी जांच में उसका घटनास्थल पर उपस्थित न होना पाया गया। एवं उसने थाना गोहद चौराहा पर समर्पण किया था, आवेदक ने उक्त अपराध में जे.एम.एफ.सी. गोहद के न्यायालय</p>	

में जमानत आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था, जो निरस्त हुआ है। वह निरोध में है। आरोपी/आवेदक रायसिंह तहसील गोहद का स्थाई निवासी है, और कृषि कार्य चल रहा है यदि आवेदक को जमानत पर रिहा नहीं किया गया तो आवेदक व उसके परिवार पर आर्थिक संकट पैदा हो जायेगा। प्रकरण में सहअभियुक्तगण थानसिंह एवं सुखपाल, जयपाल, संदीप व मोनू भदौरिया की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के एवं सहआरोपी मुनेश एवं दशरथसिंह एवं श्रीमती नीलम तोमर, शिंभू की जमानतें इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं, आरोपी/आवेदक रायसिंह का मामला जमानत पर रिहा आरोपीगण से भिन्न नहीं है। वह साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा। इसलिये उसे नियमित जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया है। समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के जमानत आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रतियां पेश की गयी हैं।

उक्त आवेदनपत्र का ए.जी.पी. द्वारा विरोध किया गया है कि उल्लेखित रिपोर्ट पर से मामला पंजीबद्ध हुआ था, हत्या का जघन्य अपराध है और आरोपी/आवेदक रायसिंह के नियमित जमानत का पात्र नहीं हैं। आवेदनपत्र निरस्त किया जावे।

अभिलेख पर पेश सत्रवाद प्रकरण क्र.-51/2014 का अवलोकन किया गया। कथानक मुताबिक प्रकट हो रहा है कि दि०-27/05/2013 के दोपहर 03:30 बजे बजाज एजेंसी ग्वालियर रोड गोहद चौराहा में सहअभियुक्त के साथ मिलकर मृतक पप्पू उर्फ महेश सिंह की हत्या पिस्टल, कटटा, अदिया का प्रयोग कर गोली मारकर की।

उक्त आशय की रिपोर्ट थाना गोहद चौराहा पर अप.क्र. 130/2015 धारा 147, 148, 149, 302 भा.द.वि. के अंतर्गत कायम की गयी।

प्रस्तुत मूल प्रकरण के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि सहआरोपीगण मोनू उर्फ सतेन्द्र सिंह भदौरिया को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक-13737/2015, आदेश दि०-03/02/2016 के माध्यम से, आरोपीगण जयपाल व संदीप को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक-13260/2015 आदेश दि०-13/01/2016 के माध्यम से तथा आरोपी शिवपाल उर्फ सुखपाल को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक-6736/2015 आदेश दि०-24/07/2015 के माध्यम से तथा आरोपी थानसिंह को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक-6512/2015 आदेश दि०-24/07/2015 के माध्यम से जमानत की सुविधा दी है। एवं आरोपी मुनेश सिंह को इस न्यायालय द्वारा दिनांक-11/02/2016 को जमानत की सुविधा प्रदान की है, एवं आरोपी दशरथ को दिनांक-08/06/2016 को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है एवं आरोपिया श्रीमती नीलम को आदेश दिनांक-14/10/2016 के माध्यम से एवं दिनांक-25/10/2016 को आरोपी शिंभू को जमानत का लाभ दिया गया है।

प्रकरण के अवलोकन से यह भी प्रकट हो रहा है कि जमानत पर रिहा आरोपी थानसिंह दि-22/10/2013 से

14/08/2014 तक एवं 17/02/2015 से 25/07/2016 तक करीब 15 महीने 29 दिन, आरोपी शिवपाल उर्फ सुखपाल दि०-22/10/2013 से 24/07/2015 तक 09 महीने 02 दिन, आरोपीगण संदीप एवं जयपाल दिनांक-26/10/2015 से 14/01/2016 तक करीब 82 दिन, आरोपी मोनू उर्फ सतेन्द्र दिनांक-16/11/2015 से 04/02/2016 तक करीब 88 दिन, आरोपी मुनेश दिनांक-20/11/2016 से 11/02/2016 तक करीब 81 दिन एवं आरोपी दशरथ दि०-07/02/2016 से 09/06/2016 तक करीब 122 दिन न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं। आरोपिया/आवेदिका श्रीमती नीलम दिनांक-20/09/2016 से दिनांक-17/10/2016 तक न्यायिक निरोध में रही है, एवं आरोपी/आवेदक शिंभू दि०-03/08/2016 से 25/10/2016 तक करीब 84 दिन न्यायिक निरोध में रहा है, एवं इस न्यायालय के समक्ष जमानत की प्रार्थना करने वाला आरोपी/आवेदक रायसिंह दिनांक-30/09/2016 से वर्तमान तक करीब 87 दिन से न्यायिक निरोध में है। जिससे उनका मामला जमानत पर रिहा आरोपीगण थानसिंह एवं सुखपाल, जयपाल, संदीप व मोनू भदौरिया, मुनेश एवं दशरथसिंह, शिंभू से भिन्न नहीं प्रकट होता है हालांकि आरोपिया/आवेदिका श्रीमती नीलम को गर्भवती होने के आधार पर भी जमानत का लाभ दिया गया है, उससे भिन्न प्रकट होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में गुणदोषों पर टीका टिप्पणी किए बगैर आरोपी/आवेदक रायसिंह को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है। बाद विचार जमानत आवेदनपत्र **स्वीकार** किया जाकर आदेशित किया जाता है कि यदि आरोपी/आवेदक रायसिंह की ओर से **एक-एक लाख** रुपये की दो सक्षम जमानतें एवं आरोपी/आवेदक रायसिंह की ओर से एक लाख रुपये का स्वयं का बंधपत्र धारा-437 (3)जा.फौ. में उपबंधित शर्तों सहित प्रस्तुत किया जावे तो उसे जमानत पर छोड़ा जावे। जिसमें यह शर्त भी जोड़ी जावे कि आरोपी को प्रत्येक बुधवार को न्यायालय में उपस्थित रखा जावे।

आदेश की प्रति के साथ केस डायरी वापिस की जावे।

आदेश की प्रति मूल अभिलेख में संलग्न हो।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)